


प्रशिक्षण कार्यशाला

निर्देशानुसार डीआईएलआरएमपी के अन्तर्गत राज्य की अधिसूचित ऑनलाईन तहसीलों में नामन्तरकरण के आवेदन तथा ई-धरती सॉफ्टवेयर एवं भू- नक्शा सॉफ्टवेयर पर व्यवहारिक रूप से कार्य किए जाने में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र क्रमांक 1568-75 दिनांक 01/10/2019 के द्वारा दिनांक 04.10.19 व 05.10.19 को सलग्न सूची अनुसार प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भामाशाह टेक्नोहब, झालाना इंगरी जयपुर स्थित कम्प्यूटरीकृत लैब में रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। जिसमें मध्याह्न भोजन का भुगतान आरबास के माध्यम से किया जाएगा।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
(महेन्द्र कुमार पारख)  
अति. भूप्रबन्ध आयुक्त,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/समसंख्यक/

दिनांक-

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

- 1- श्रीमान आयुक्त, (आईटी), भामाशाह टेक्नोहब झालाना इंगरी जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रशिक्षण हेतु लैब इत्यादि की उचित व्यवस्था करवाने का श्रम करावे।
- 2- निजी सचिव, भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, निबन्धक राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
- 4- निजी सहायक, अति. भूप्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
- 5- एनआईसी जयपुर।
- 6- संबंधित सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, मुख्यावास ।
- 7- प्रभारी, भू प्रबन्ध प्रशिक्षण, संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर व्यवस्था करावे।
- 8- श्री राहुल मीणा सूचना सहायक, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर व्यवस्था करावे।
- 9- श्री महेन्द्र सैनी, गिरदावर श्री शिवप्रकाश सोनी, गिरदावर, सुश्री रेखा सिंह, पटवारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण शिविर में नियत समय पर उपस्थित हों।
- 10- प्रभारी आरबास जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि भोजन संबंधी भुगतान शीघ्र किया जावे।
- 11- श्री सत्यनारयण अग्रवाल च.श्रे.कर्म. को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण में जलपान की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करावे।

||  
अति. भूप्रबन्ध आयुक्त,  
राजस्थान, जयपुर